न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

विनोद कुमार आदि बनाम महावीर आदि

किस्म मुकदमा 212 RTA मु.नं. 174 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	बहस उभयपक्ष से सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली व उक्त आवेदन आदि का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। उक्त समग्र अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांकित 06.11.2025 के द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 686 रकबा 0.3500 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से अंतरिम रूप से पावन्द किया गया है। प्रकरण में वर्णित उक्त आराजी खसरा सं. 686 रकबा 0.3500 हेक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में एकल खातेदारी अप्रार्थी सं. 5 सुगनचन्द के नाम दर्ज है। उक्त पर न्यायालय हाजा के अंतरिम स्थगन जारी रहने से उक्त अप्रार्थी सं. 5 को पाबंद हो चुके है। अप्रार्थी सं. 5 (सुगनचन्द) की ओर से आराजी में दर्ज अपने हिस्से के बाबत अंतरिम स्थगन बाबत शिथिलन चाहा है। अतः हस्तगत आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
	अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थी/अप्रार्थी सं. 5 (सुगनचन्द) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अं. आदेश 39 नियम 4 सीपीसी सपठित धारा 151 दिनांकित 08.12.2025 को स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 686 रकबा 0.3500 हेक्टेयर वाके ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.11.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त (वेकेट) किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली वास्ते जवाब /तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 20.02.2026 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर
20/02/26	पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/03/26 को पेश हो।
19/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] को माननीय न्यायालय [illegible] अधिकारी, सीकर के यहां [illegible] प्राप्त पत्र की पालना में [illegible] पत्रावली को माननीय न्यायालय के यहां भिजवाई जाती है।
	उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)